

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा (समस्तीपुर) – 848 125, बिहार

आ० सं०- 02 स्था०/ 02/ 19/ 55 / रा.प्र.के.कृ.वि.,

पूसा, दिनांक २५/०५/२०२१

आदेश

माननीय कुलपति महोदय के निदेशानुसार कोरोना वाइरस महामारी की कूसरी लहर देश के अनेक राज्यों सहित बिहार राज्य में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के आदेश संख्या- जी०/आपदा/०६-०२/२०२०- २९१८ पटना दिनांक २४.०५.२०२१ में लिए गए निर्णय के आलोक में वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्थितियों पर व्यापक नियंत्रण हेतु दिनांक २६.०५.२०२१ से ०१.०६.२०२१ तक लॉकडाउन की अवधि को निम्नलिखित शर्तों के साथ विस्तारित किया जाता है :-

१. दिनांक २६.०५.२०२१ से ०१.०६.२०२१ तक विश्वविद्यालय के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।
२. इस लॉकडाउन अवधि में पूसा परिसर में आवासित कोई भी कर्मी परिसर छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर किसी भी कर्मी को अति आवश्यक कार्य से घर जाना है तो अपने नियंत्री पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही जाएंगे। उनके लौटने पर कोविड निगेटिव रिपोर्ट नियंत्री पदाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। साथ ही परिसर में आगमन के उपरान्त सात दिनों का व्यारन्टीन में रहने के बाद ही उनका योगदान स्वीकृत किया जाएगा।
३. आवश्यक सेवा जैसे विश्वविद्यालय अस्पताल/ सुरक्षा शाखा/ सम्पदा शाखा/ पूसा प्रक्षेत्र/ कुक्कुट एवं पशु प्रक्षेत्र (दूध के कूपन के आपूर्ति के साथ)/ मधुमक्खी पालन/ अतिथि भवन/ किसान घर/ टीशुकल्चर लैब/ फोडर मैनेजमेंट/ मशरूम ईकाई/ इख अनुसंधान संस्थान के लैब एवं कल्याणपुर प्रक्षेत्र के क्रॉप मैनेजमेंट/ हाईटेक हॉर्टीकल्चर/ सब्जी उत्पादन/ सभी प्रकार के शोध/ एक्सपरिमेंट/ केन्द्रीय भंडार का सभी प्रकार का क्रय कार्य ऑनलाईन/ सभी प्रकार के निर्माण कार्य एवं बीज प्रोसेसिंग/ निदेशालय, बीज/ अभियंत्रण शाखा (जल प्रबंधन)/ विद्युत शाखा/ एरिस सेल इत्यादि कार्य यथावत् चलते रहेंगे।
४. सभी प्रकार के शिक्षण कार्यक्रम यथावत् ऑनलाइन के माध्यम से चलते रहेंगे।
५. लॉकडाउन अवधि में विश्वविद्यालय परिसर में शादी समारोह वर्जित रहेंगा।
६. इस अवधि में विश्वविद्यालय पुस्तकालय बन्द रहेंगे, लेकिन ई-लाइब्रेरी चलती रहेगी।
७. पूसा-ढोली-पूसा कार्यालय कार्य हेतु आने-जाने वाले की सूची एवं गाड़ी संख्या के साथ सुरक्षा शाखा को उपलब्ध करायगे, ताकि स्थानीय थाना से इनके आवागमन की अनुमति ली जा सके।
८. विश्वविद्यालय परिसर में पांच लोगों की संख्या या उससे ज्यादा एक साथ घुमना एवं एकत्रित होना वर्जित है।
९. परिसर निवासी कोविड प्रोटोकॉल के अन्तर्गत निर्देशित यथा मास्क पहनना, आपसी दूरी बनाए रखना, समय-समय पर हाथ धोना आदि का अक्षरशः पालन करें।

उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु ८०प्र०सं० की धारा १४४ के अंतर्गत उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम २००५ की धारा ५१-६० एवं भा०द०वि० की धारा १८८ के प्रावधान के अन्तर्गत अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिलिपि:-

सभी अधिष्ठाता एवं निदेशक/ कुलसचिव/ नियंत्रक/ सभी नियंत्री पदाधिकारी/ विभाग प्रधान/ प्रभारी एरिस सेल, रा.प्र.के.कृ.वि., पूसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। एरिस सेल को उक्त आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कार्बन प्रति- कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

रुचिका
उप कुलसचिव (स्था०)
२५/०५/२०२१